न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 80/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामेश्वर पुत्र छोटूलाल जाति हरिजन निवासी रोहिसी तहसील रियाबडी जिला नागौर।		तहसीलदार, रियांबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.02.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, रियांबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 22/2017 सरकार बनाम रामेश्वर में निर्णय दिनांक 30.05.17 के तहत मौजा रोहिसी के खसरा नं. 722 गै.मु. नाडी भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.10.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.11.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम 30 जुलाई 2017 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई, जब उसने अपीलांट को बताया कि वह तहसीलदार के निर्णय की पालना में अपीलांट का कब्जा मौके पर से हटायेगा। दिनांक 30.05.17 की तारीख पेशी पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसने जवाब तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर चाहा। अपीलांट अनपढ अंगूठा छाप आदमी है। अपीलांट से उस दिन खाली आर्डर शीट पर अंगूठा कराया गया तथा आर्डर शीट पर अपीलांट के समक्ष कुछ नही लिखा गया। अपीलांट को निर्णय कर देने की भी बात नही बताई गई। अपीलांट को तो यह कहा गया कि जवाब तथा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु नया नोटिस दिया जायेगा। पटवारी हल्का से जानकारी होते ही दिनांक 01.08.17 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की, तत्पश्चात अपीलांट के खांसी जुकाम बुखार हो जाने, राज्य कर्मचारियों की महीने भर तक हडताल चलने के कारण अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सका। अब स्वस्थ होते ही बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत कर दी। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–दिनांक 30.05.17 की तारीख का नोटिस मिलने पर अपीलांट तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा अपना जवाब साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। अपीलांट का आर्डर शीट पर यह कहकर अंगूठा कराया कि उसे जवाब तथा सबूत पेश करने हेतु अलग नोटिस दिया जायेगा। अपीलांट के खाली ऑर्डर शीट पर अंगूठा कराया गया। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अंगूठा छाप आदमी है, पढा लिखा नही है। अपीलांट को 30.05.17 को निर्णय कर देने की कोई बात नही बतायी गयी। अपीलांट के समक्ष कोई निर्णय न तो लिखा गया, न आर्डर शीट ही लिखी गई, न उस समय निर्णय की जानकारी अपीलांट को दी गई।

{2}(III)–निर्णय की नकल मिलने पर इस बात की जानकारी हुई कि अपीलांट ने अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। वास्तविक स्थिति यह थी कि अपीलांट ने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार नही किया था, सारी बात गलत व झूठी लिखी गई है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–अपीलांट को जवाब साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–वादग्रस्त भूमि जिसे राजस्व रेकर्ड में नाडी बताया गया है, वह गलत बताया है, मौके पर पिछले साठ सालों से कोई नाडी नही है, न इसमें किसी प्रकार का पानी आता है, यदि मौके पर नाडी का अस्तित्व होता तो अपीलांट की झोंपडी बाड नाडी में नही बनती।

{2}(VI)–अपीलांट की जहां झोपडी बाड व कब्जा है, वह जगह नाडी नही है। वह जगह अपीलांट के पूर्वजो के समय से अपीलांट के खातेदारी की भूमि रहती रही है, नये बंदोबस्त में इसे अपीलांट के खातेदारी से हटाकर नाडी में गलत दिखाया गया है। बंदोबस्त कर्मचारियों को अपीलांट के खातेदारी की भूमि को खातेदारी से हटाकर नाडी दर्ज करने का अधिकार नही है। गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर अपीलांट का नाडी पर अतिक्रमण होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(VII)–अपीलांट के पास इस झोंपडी के अलावा अन्य कोई रहवासी ठांव नही है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही से पूर्व ग्राम पंचायत को नोटिस नही दिया गया। अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है। आस पडोस चारो ओर लोगो की रहवासी ढाणियां है। अपीलांट इस भूमि का नियमन आंवटन कराने की पात्रता रखता है। मगर इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विचार किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम रोहिसी में स्थित गै.मु.नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रोहिसी के खसरा नंबर 722 गै.मु. नाडी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. नाडी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर